भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 22
दिनांक 29.01.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण स्वीकृति

22 . श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत ऋण स्वीकृति में होने वाली देरी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के 30 दिनों के निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु ई-पोर्टल पर नोडल अधिकारियों की सूची प्रकाशित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित इकाइयों की दीर्घकालिक निगरानी तथा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि असफल इकाइयों को सहायता प्रदान की जा सके और सफल इकाइयों को विस्तार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पीएमईजीपी पोर्टल पर ब्याज गणक (इंटरेस्ट कैलकुलेटर) स्थापित किया गया है तथा अधिक ब्याज वसूली को रोकने के उद्देश्य से सभी लाभार्थियों के लिए एक समान न्यूनतम ब्याज दर लागू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक मांग आधारित स्कीम है और परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति तथा ऋण की संस्वीकृति एवं ऋण जारी करने का कार्य संबंधित वित्तपोषक बैंक के स्तर पर किया जाता है, जो परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है और प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर अपना ऋण निर्णय स्वयं लेता है। लीड बैंक स्कीम पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कीम के प्रभावी समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर बैंकर्स समिति की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं। संबंधित राज्यों और जिलों में पीएमईजीपी के कार्यनिष्पादन और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (एसएलएमसी) और जिला स्तरीय निगरानी समितियों (डीएलएमसी) की नियमित बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(ख): नोडल अधिकारियों का विवरण पीएमईजीपी पोर्टल के ऑनलाइन डैशबोर्ड पर प्रकाशित किया गया है। इसका विवरण इस प्रकार है:
https://kviconline.gov.in/pmegpeportal/dashboard/fbNodalBankList.jsp

(ग): लाभार्थी के ऋण खाते में एमएम सब्सिडी के समय पर समायोजन की सुविधा हेतु, पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की जियो-टैगिंग और प्रतिष्ठान की कार्यशील स्थिति के साथ वास्तविक सत्यापन के लिए एक तंत्र मौजूद है और इसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता-प्राप्त सफल सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत सहायता-प्राप्त अच्छा प्रदर्शन करने वाली मौजूदा विनिर्माण इकाइयों के उन्नयन हेतु सभी श्रेणियों (पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20%) के लिए 15% की सब्सिडी के साथ 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दूसरा ऋण घटक मौजूद है।

(घ): पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने से पहले अपने पुनर्भुगतान दायित्वों को समझने में सक्षम बनाने के लिए पीएमईजीपी पोर्टल पर एक ब्याज/ईएमआई कैलकुलेटर मौजूद है। कैलकुलेटर लाभार्थी को ऋण राशि, लागू वार्षिक ब्याज दर और ऋण अवधि दर्ज करने की अनुमति देता है, और स्वचालित रूप से मासिक ईएमआई, कुल देय ब्याज और कुल पुनर्भुगतान राशि प्रदर्शित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक अग्रिमों पर ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त कर दिया है। इसलिए, पीएमईजीपी ऋणों के लिए ब्याज दरें आरबीआई द्वारा निर्धारित नियामक ढांचे के भीतर व्यक्तिगत बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तथापि, आरबीआई ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और ऋण शर्तों का पर्याप्त खुलासा सुनिश्चित करने के लिए सभी विनियमित संस्थाओं को निर्देश जारी किए हैं, जिससे पीएमईजीपी लाभार्थियों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके और मनमानी ब्याज वसूली को रोका जा सके।
